

246

निगरानी 970-III-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला

श्री जय प्रकाश पांडेय एस.  
द्वारा पेशी 8-4-15



रीवा ₹म०प००

- § 1§ धीमेन्द्र कुशवाहा तनय श्री रामसिया कुशवाहा, उम्र-26 वर्ष,
  - § 2§ जितेन्द्र कुशवाहा तनय श्री रामसिया कुशवाहा, उम्र-22 वर्ष,
- दोनों निवासी- पुष्पराम कॉलोनी, तहसील- रघुराजनगर, जिला  
सतना ₹म०प००

निगरानीकर्तागण ×  
पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

- § 1§ यजनारायण तनय श्री हीरालाल कुशवाहा, सा० मरौहा, तह०  
रामपुर बाघेलान, जिला- सतना ₹म०प००

- § 2§ शासन म०प०० ----- गैरनिगरानीकर्तागण  
गैरपुनरीक्षणकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प०भूरा० सं०  
1959 ई० ।

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय / कार्यालय  
राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर, तह० रामपुर  
बाघेलान, जिला-सतना के फ़क० क्र०-213/12/  
2013-14, आदेश दिनांक 30-07-14

क्रमांक 4984  
रजिस्ट्रार पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 10-4-15 को प्राप्त  
10-4-15  
राजस्व मण्डल ज.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता गण द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर  
पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है :-

∴ संक्षिप्त तथ्य ∴

- § 1§ यह कि गैरनिगराकार क्र०-1 द्वारा आराजी क्र०-14/ख,  
17/2/क, 18, 19, 20/1, 22, कुल पांच कित्ता कुल रकवा 4528 हे०  
के सीमांकन हेतु आवेदन किया गया था और बिना विधि का पालन किए  
हुए सीमांकन की प्रकिया के मापदण्ड से परे जाकर राजस्व निरीक्षक वृत्त  
सज्जनपुर, तह० रामपुर बाघेलान, जिला- सतना ₹म०प०० द्वारा फ़क०क्र०-

म 2


क्रम सं.: . . . . . 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.970-III / 15

जिला-सतना

धर्मेन्द्र कुशवाहा / यज्ञनारायण कुशवाहा वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> अवस्य</p>	